



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-08.04.2025

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला सैय्यादान में दुकान के बाहर से चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 01 चोर मुठभेड में घायल व 01 अन्य चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान, चोरी का सामान बेचकर प्राप्त नगदी, अवैध हथियार व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 17.01.2025 को वादी श्री अंकुर कुमार पुत्र राजकुमार निवासी मौहल्ला सैय्यादान निवासी थाना थानाभवन जनपद शामली तथा दिनांक 29.03.2025 को श्री राजकुमार पुत्र हरिराम व हिमांशु पुत्र रामकुमार निवासीगण मौहल्ला सैय्यादान निवासी थाना थानाभवन जनपद शामली की दुकान के बाहर से सामान उतारते समय ट्राली/रेहड़े से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ली गयी थी। घटनाओं के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 08.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत दुकान से चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये घटना में शामिल 01 चोर गंगोह-थानाभवन मार्ग पर अहमदपुर पुलिया के पास हुई मुठभेड में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल हुआ है व 01 अन्य चोर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी भेजा गया है। गिरफ्तार/घायल अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया सामान (बादाम का कट्टा), चोरी का सामान बेचकर प्राप्त नगदी 8,000/- रुपये, अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

- 1.शौकीन पुत्र गुलजार निवासी मालीपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर (घायल)।
- 2.आरिफ पुत्र निवासी मालीपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-चोरी किया गया सामान (बादाम का कट्टा)।
- 2-चोरी का सामान बेचकर प्राप्त नगदी 8,000/- रुपये।
- 3-अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस।
- 4-घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल स्पलेण्ड प्लस बिना नम्बर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शौकीन उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 27/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 125/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 25/2025 धारा 305(1), 317 बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आरिफ उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 27/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 125/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र कसाना थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 2.उ0नि0 श्री इन्द्रसैन थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 3.उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 4.हे0का0 भगत सिंह भाटी थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 5.का0 अमित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 6.का0 शेखर थाना थानाभवन जनपद शामली ।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 515

ग्राम गांजापत्ती चूर्ण बरामद:-

आज दिनांक 08.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थ तस्करी में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही एवं रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से अवैध 515 ग्राम गांजापत्ती चूर्ण बरामद हुआ है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. राहुल उर्फ विककी पुत्र स्व० अरुण शर्मा निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 515 ग्राम गांजा पत्ती चूर्ण ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री दीपचन्द थाना थानाभवन जनपद शामली ।
2. है०का० यशपाल थाना थानाभवन जनपद शामली ।
3. है०का० अश्वनी कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली ।
4. है०का० मोहित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली ।



थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 400 ग्राम चरस बरामद ।

आज दिनांक 08.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 400 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । घटना में लिप्त 01 फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सादिक उर्फ सादा पुत्र तैय्यब निवासी मौहल्ला नई बस्ती सलेमपुर रोड थाना कांधला जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 400 ग्राम चरस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री विरेन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली ।
- 2.है0का0 नरेश सिंह थाना कांधला जनपद शामली ।
- 3.है0का0 रविन्द्र तोमर थाना कांधला जनपद शामली ।
- 4.का0 सूर्यप्रताप थाना कांधला जनपद शामली ।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 08.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अमरीश पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री श्यौराज सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 अमरदीप तोमर थाना थानाभवन जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 08 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 08.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 08 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.पवन पुत्र जयपाल निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.आलमदीन पुत्र असरफ निवासी ग्राम चौतरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.अशोक पुत्र जगपाल निवासी मौहल्ला छिडियान कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4.सुरेश पुत्र रामकिशन निवासी मौहल्ला महाडी कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 5.सोनू पुत्र धर्मेन्द्र जाट निवासी ग्राम जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 6.रामपाल पुत्र रामकिशन निवासी डेरा बक्शी थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 7.रविन्द्र पुत्र नफा निवासी ग्राम म्यान बिडौली थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 8.युसुफ पुत्र दोस्त उर्फ दोस्त मोहम्मद निवासी मौहल्ला तलाही कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना बाबरी/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 08.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.सुरेश उर्फ भीम पुत्र आत्मा निवासी ग्राम आदमपुर थाना बाबरी जनपद शामली।
- 2.उदयवीर पुत्र हरपाल निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 मामलो में 05 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 29,050/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 1995 में अभियुक्त सर्फू पुत्र सवरिया निवासी झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 9/1995 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11ग पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.04.2025 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,050/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2.-वर्ष 2015 में अभियुक्तगण 1. राजवीर पुत्र कलिराम निवासी ग्राम जमालपुर झिंझाना जनपद शामली 2. सोनू पुत्र रामबीर निवासी ग्राम जमालपुर झिंझाना जनपद शामली 3. नाहार सिंह पुत्र कलिराम निवासी ग्राम जमालपुर झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 262/2015 धारा 323 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.04.2025 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व 8,000-8,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

3.- वर्ष 2004 में अभियुक्त इनाम उर्फ सोनू पुत्र नसीर निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 114/2004 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 4,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में चोरी के 02 अलग-अलग मामलों 01 अपराधी को मा0 न्यायालय शामली द्वारा सुनाई जेल में बितायी गयी अवधि(03 वर्ष 09 माह 17 दिवस) के कारावास की सजा एवं 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

वर्ष 2021 में थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त जीशान उर्फ मामा पुत्र अशरफ निवासी हमजागढ थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा चोरी की घटनाएं कारित की गई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 82/2021 व 97/21 धारा 380 भादवि अभियोग पंजीकृत किये गये थे । जिसमें शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था । जिसके क्रम में शामली पुलिस के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 08.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त जीशान को उपरोक्त दोनों मुकदमों में दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (03 वर्ष 09 माह 17 दिवस) के कारावास व 1,000-1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.जीशान उर्फ मामा पुत्र अशरफ निवासी हमजागढ थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI